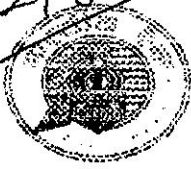


[69]

2 pages



1/9/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-7-7

कमांक-94/2018

आरबीई सं0-78/2018

सं0 ई/54/2/भाग-2/चार

दिनांक/2-06-2018

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-कर्मचारियों को जो (एमएसीपी के प्रयोजन हेतु) अपने तीन अंतिम वर्षों के एपीएआर में "बहुत अच्छा" से नीचे स्तर का ग्रेडिंग पाये हैं, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)/2018/सीआर/2 दिनांक 04.06.2018 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0क0प्रबन्धक)
सकाधि/मुख्या0-11
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

(आर0क0प्रबन्धक)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

68

RBE No. 78 /2018.

2
04/20/18

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No.E(NG)I-2018/CR/2

New Delhi dated 04/06/2018

06.06.18

मुद्रांक

मुद्रांक / मूलांक

Dy. Commr.
PROTAS, II

NER

The General Managers(P)
All Zonal Railways and Production Units,
(As per standard list).

Sub:- Providing opportunity for submitting representation, to the employees who have been awarded below "Very Good" Grading in their last three years' APARs (for the purpose of MACPs).

In connection with Board's letter of even number dated 27.02.2018, one of the Federations i.e. NFIR has demanded for giving 90 days time to represent instead of 30 days as allowed in Board's letter ibid, it is advised that the concerned employees may be allowed to represent against grading as 'Good' or below upto 90 days more from issue of this letter. Further 2013-2014 may also be taken into account in this bracket for consideration of preceding five years APARs. (This dispose of Western Railways' letter No. E(P) 246/0 Vol.VI dated 02.05.2018)

Please acknowledge receipt.

Hindi version will follow.

M.K. Meena

(M.K. Meena)

Deputy Director Estt.(N)
Railway Board.

454

18/6/18

18.6.18

21/6/18

Rising

12/6/18

699

11.6